आपराधिक प्र.क.: 1188 / 2014

न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 1188 / 2014</u> <u>संस्थित दि: 05 / 12 / 2014</u>

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — अभियोगी विरूद मनोज मांगरे पिता स्व. रामदयालदास, उम्र 26 साल, जाति पनिका,

—<u>:: उर्पापण – आदेश ::</u>—

(आज दिनांक 02/01/2015 को उपार्पित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है

निवासी डुडवा थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना गढ़ी के मर्ग कमांक 32/14 धारा 174 जा.फौ. की मृतिका विकासलता पित मनोज मांगरे की मर्ग जांच दौरान पाया गया कि तहरीर जांच दौरान लिये गये कथन तथा एस.डी.ओ.पी. विक्रमसिंह अनुविभाग परसवाड़ा द्वारा लिये गये मृतिका के मायके पक्ष एवं साक्षियों के कथन पी.एम.रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि विकासलता का विवाह 2011में आरोपी के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद वह आरोपी मनोज के साथ रहने लगी थी। किन्तु बाद में आरोपी अपनी पत्नी पर इस बात को लेकर शक करने लगा कि उसकी पत्नी मृतिका का अवैध संबंध तेली समाज के किसी लड़के के साथ है तथा इस बात का लांछन आरोपी पित द्वारा बार—बार लगाया गया, तो इसी बात से मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका विकासलता अपने माता—पिता के पास रहने लगी। किन्तु आरोपी द्वारा लांछन लगाना बंद नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण दिनांक 03.10. 2014 की रात्रि में मृतिका द्वारा अपने उपर केरोसीन का तेल डालकर माचिस की तिल्ली

आपराधिक प्र.क.: 1188 / 2014

जलाकर स्वयं को आग लगाकर जल गई, जो ईलाज के दौरान दिनांक 20.10.2014 को फौत हो गई, जो धारा सदर का अपराध पाये जाने से एस.डी.ओ.पी. विक्रमसिंह कुशवाह द्व ारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धारा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (05) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।,
- (06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 14.01. 2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । 💰

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट